been presented to him asking for the reintroduction of the subsidized grain shops; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) A memorandum signed by a number of employees has been received by the Government.

(b) The policy of the Government in regard to the revival of subsidised grain shops has already been indicated in reply to part (c) of Unstarred Question No. 884 replied on 18-9-1964.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बतला सकती है कि कुल कितनी इस तरह की फेयर प्राइस शौप्स की जरूरत पड़ेगी और सरकार इस समय कितनी क़ायम करना चाहती है ?

डा० राम सुभग सिंह : रेलवेज के कर्मचारी कोई 13 लाख हैं। अब 300–400 आदमियों की जहां कहीं भी कालोनी हो वहां हम कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स खोलना चाहते हैं। फेयर प्राइस शौप्स जितनी भी उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर्स खोलें वह स्वागत योग्य ही है और इस में सरकार उन्हें सब संभव सहायता व प्रोत्साहन देगी।

श्री यशपाल सिंह : सरकार को उस में कुल कितना खर्च करना पड़ेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : यह जो कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स कायम किये जाते हैं उन के लिए सरकार जगह देती है और जहां वह फेयर प्राइस शाप्स चलाते हैं उनसे केवल इसके लिए एक नामिनल किराया अर्थात् एक रुपया प्रति मास के किराये पर सुलभ करती है। इसके अलावा उन स्टोर्स को चलाने के लिए रखे गये आदमी का कुछ खर्चा भी देती है। गवर्नमेंट 2500 रुपये तक शेयर कैपीटल में मदद करती है। जो भी पूंजी अथवा सहायता उन्हें चाहिए सरकार उन्हें सुलभ करती है और इस कार सरकार हर एक स्टोर्स को कोई 10,000 रुपये तक कर्जे के रूप में देती है।

झुग्गियों का गिराया जाना

+

S.N.Q 2. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बागड़ी :
श्री गुलशन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अशोक होटल तथा विनय मार्ग के पास की लगभग 1,500 झुग्गियों को गिरा दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें मदनगीर में बसाने की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने मदनगीर क्षेत्र में इन लोगों को प्रारम्भिक सुविधायें देने की व्यवस्था की है;

(घ) क्या सरकार ने झुग्गियों को गिराने से पहले सूचना दी थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन झग्गियों को बिना पूर्व सूचना दिये गिराने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ङ). विनय मार्ग और चाणक्यपुरी में नाजायज तौर पर बैठे हुए 1,339 परिवारों को 25, 26 और 27 नवम्बर, 1964 को हटा दिया गया था। उन सभी को बदले में जगह दी जानी थी लेकिन 1,194 परिवारों ने जगह को मंजूर किया और उन्हें मदनगीर, वजीरपुर, नारायना और नजफगढ़ रोड की बस्तियों में अलाटमेंट दे दिया गया। इन सभी बस्तियों में मूल सुविधायें दी गयी हैं

जैसे—शौचालय, नहाने की जगह, पानी सड़कें, नालियां, सड़कों पर रोशनी, स्कूल, डाक्टरी सहायता वगैरा । ऐसे परिवारों को झुग्गी-झोंपड़ी स्कीम के नीचे हटाया जा रहा है और पिछले दो वर्षों में इस किस्म के सवाल पार्लियामेंट में कई बार पूछे जा चुके हैं । झुग्गी-झोंपड़ी स्कीम के नीचे 12,497 परिवारों को 31-10-64 तक जगह दी जा चुकी है ।

[(a) to (e). 1,339 families squatting on Vinay Marg in Chanakyapuri were removed on the 25th, 26th and 27th November, 1964. They were all offered alternative accommodation and 1,194 families accepted the offer and were allotted plots in the colonies at Madangir, Wazirpur, Naraina and Najafgarh Road. All these colonies have been provided with basic amenities like latrines, baths, water-supply, roads, surface drains, street lighting, schools, medical facilities etc. This removal was carried out under the Jhuggi and Jhonpri Removal Scheme which has been in operation for the last two years and has been the subject-matter of interpellations in Parliament on several occasions. Under this Scheme, 12,497 families squatting on Government and public lands have been removed and provided with alternative accommodation in various colonies upto the 31st October, 1964).

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि पहले ये लोग विनय नगर में विनय नगर मार्केट के बनने से पहले बसे हुए थे और वह मार्केट बनाने के लिए इन को वहां से हटाया गया था और इन को यह आश्वासन दिया गया था कि यहां पर बसाने के बाद उन को नहीं हटाया जायेगा ? क्या सरकार इस बात की गारण्टी देती है कि इन लोगों को इस समय जहां बसाया जा रहा है, वहां से उन को उजाड़ा नहीं जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक मेरा ख़याल है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह दुरुस्त नजर नहीं आता है । हम ने इस सिलसिले में आज से चार बरस पेश्तर मर्दुम-शुमारी की थी । आज दिल्ली में पचास-साठ हज़ार परिवार पब्लिक लैंड्ज में बैठे हुए हैं । यह जो हमारी स्कीम है, इस के नीचे हम उन लोगों को वहां से हटाते है और दूसरी जगह देते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या यह सही है कि 24 तारीख़ को सूचना दी गई थी और 25 तारीख़ को सारी बस्ती को उजाड़ दिया गया ? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जहां उन लोगों को बसाया गया है, वहां उन को सहूलियत दी गई है । क्या यह सही है कि उन लोगों को पर्याप्त सहूलियत नहीं दी गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने अर्ज़ किया है कि कम से कम तेरह हज़ार परिवारों को हम जगह दे चुके हैं । मैं माननीय सदस्य की ख़िदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये अनअथाराइज्ड स्क्वैटर्ज़ हैं और इन का कोई हक़ नहीं है । लेकिन इस के बावजूद हम उन भाइयों को अस्सी-अस्सी गज़ का प्लाट दे रहे हैं, जोकि एलिजिबिल है ।

श्री बड़े : क्या यह सही है कि पुलिस को बाजू में खड़ा कर के और औरतों के रोने और बच्चों के चिल्लाने के बीच में इन झुग्गियों को तोड़ा जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की नजर में और कितनी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, जिन को गिराया जाना है ? माननीय मंत्री ने उन लोगों को दूसरी जगह बसाने के बारे में कहा है । क्या उन को कोई कर्जा देने का भी इरादा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : तक़रीबन 40-45 हज़ार परिवार और होंगे और वे दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं । इस स्कीम के नीचे हम उन को ज़मीन देते हैं, लेकिन झुग्गी बनाने के लिए उन को कोई माली इमदाद नहीं देते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : झुग्गी-झोंपड़ियों की समस्या पार्लियामेंट में कई वर्षों से बार-बार उठ रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्थित योजना बनाई है, जिस से इस समस्या को बार-बार इस सदन में न उठाना पड़े ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह सवाल सदन में बार-बार इसलिए आता है कि मेम्बरों को इस में कुछ खास दिलचस्पी नज़र आती है । जहां तक दिल्ली के मेम्बरों का ताल्लुक है, वे कोई सवाल नहीं पूछते हैं । जहां तक कार्पोरेशन के मेम्बरों का ताल्लुक है, वे तमाम हमारी नीति से सहमत हैं । लेकिन अगर माननीय सदस्य सवाल पूछें, तो मैं इन्कार नहीं कर सकता । मैं ने अर्ज़ किया है कि पचास, साठ हज़ार कुनबे हैं, जिन में से पन्द्रह हज़ार कुनबे हटाये जा चुके हैं । हर महीने दो हज़ार कुनबे हटाने का प्रोग्राम है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आन ए प्वाएंट आफ़ आडर, सर । मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ मेम्बर साहबान को दिलचस्पी है और उस के बाद उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मेम्बरान या कार्पोरेशन के मेम्बरान इस सवाल को नहीं उठाते हैं ।

This, I feel, is an aspersion on Members. After all, Members are Members, whether they are from Delhi or not.

Mr. Speaker: On the other hand, they should be given credit for taking interest.

श्री रामेश्वरानन्द : क्या सरकार कोई ऐसा यत्न करेगी कि उस की बेकार और व्यर्थ पड़ी हुई ज़मीन पर जो ग़रीब लोग अधिकार कर लेते हैं और झुग्गी-झोंपड़ी बना लेते हैं, उन की वहां पर झुग्गी-झोंपड़ी बनाने से पहले ही रोक दिया जाये, जिस से उन लोगों को उठाने में बेकार, व्यर्थ खर्च न हो और सरकार के लिए सिरदर्द न हो ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह ज़मीन कारामद ज़मीन है, व्यर्थ नहीं है । किसी ज़मीन पर स्कूल बनेंगे, किसी पर अस्पताल, किसी पर कालेज और किसी पर मकान । इन लोगों ने उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है । इसलिए हम इन को वहां से हटाते हैं, ताकि वह ज़मीन अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाये ।

श्री बड़े : प्रश्न है कि उन को शुरू में ही क्यों नहीं रोकते ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या सरकार ऐसा यत्न करेगी कि उन को पहले ही झुग्गी झोंपड़ी बनाने से रोक दिया जाये, ताकि उन को उठाने में जो खर्च करना पड़ता है, वह न करना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस सुझाव को ध्यान में रखेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : चुनाव के दिनों में झुग्गियां बनती हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं भी चुन कर आया हूं ।

श्री यु० सिं० चौधरी : उन्हीं झुग्गियों से ।

अध्यक्ष महोदय : किसी वक्त दोनों उन्हीं झुग्गियों में इकट्ठे हो जायें ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : रोज़ जो झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, क्या उन में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांस्पोर्ट का इन्तज़ाम किया जाता है ? क्या यह सही है कि इन लोगों का सामान तीन दिन तक वहां पड़ा रहा ; यदि हां, तो यह इन्तज़ाम न करने का क्या कारण था ? वहां पर सामान वगैरह उठाने के लिए कितने ट्रक थे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब भी हम इन लोगों को हटा कर दूसरी जगह ले जाते हैं, हम बाकायदा ट्रांस्पोर्ट का बन्दोबस्त करते हैं और जहां तक मेरा ख्याल है, कोई ऐसा

परिवार न होगा, जिस को हम ने ट्रांस्पोर्ट प्रोवाइड न किया हो ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : कितने ट्रक लगे हुए थे ?

श्री बांगड़ी : भारत के हर नागरिक को देश में रहने का अधिकार हमारा विधान देता है । इंसानों को इस तरीके से जहां वे बसे हुए हैं उजाड़ना और इस बात का कोई इलग्ज न होना . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप विधान पर बहस करेंगे ?

श्री बांगड़ी : बहस नहीं कर रहा हूं । इसके बिना सवाल समझ में नहीं आएगा । मतलब यह है कि दिल्ली के अन्दर झग्गी झोपड़ी वालों को दो गज भूमि पर रहने की भी कानून जब इजाजत नहीं देता है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस समस्या को हल करने के लिए कई-कई एकड़ जमीन जो एक-एक कोठी के साथ लगी हुई है, मंत्रियों के बंगलों के साथ लगी हुई है या राष्ट्रपति भवन के अहाते में है, उसको एक्वायर करके इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को बसाने के इस्तेमाल में लाई जाए ?

अध्यक्ष महोदय : और वहां पर झग्गियां डाल दी जायें ?

श्री बांगड़ी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि दिल्ली में जो जमीन की बड़ी कमी है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझ लिया है । आप कहते हैं कि . . . . राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों की कोठियों में खाली जो जमीन पड़ी हुई है उसे क्यों न झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दिया जाए ?

श्री बांगड़ी : दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है । जबर्दस्ती भी अगर वे वहां डाल दें तो भी अच्छी बात है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : दो सवाल हैं । एक तो यह है कि जो बड़े-बड़े कम्पाउंड वाले बंगले हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना । कल भी मैं ने अर्ज किया था कि हमारा प्लान यही है कि मल्टीस्टोरीड फ्लैट्स, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्ज बनाई जायें और जो बड़े-बड़े कम्पाउंड्ज हैं उनका मास्टर प्लान के मुताबिक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए । जहां तक झुग्गी झोंपड़ी वालों का ताल्लुक है मैं अभी कह चुका हूं कि शुरू में 25 गज, फिर 80 गज जमीन देते हैं । बाकायदा कालोनीज डिवेलप हो रही हैं और हम उनको जगह देते हैं आल्टरनेटिव ।

श्री स० मो० बनर्जी : भूख और प्यास से परेशान हो कर दिल्ली के आस-पास के इलाकों के लोगों ने, गरीब लोगों ने, यह कह दिया है कि "दिल्ली चलो","दिल्ली चलो"; यह नारा लगा दिया है और इसी वजह से उनकी तादाद यहां बढ़ती चली जा रही है । सरकार क्या इन्तजाम कर रही है कि उनको यहां आने से रोका जाए या जो आ जायें कम से कम उनको पहले ही बसा दिया जाए, उजड़ने से पहले ही बसा दिया जाए ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : आने का तो सवाल यह है कि हमारी कोशिश यही है कि बाहर से वे न आयें और नाजायज कब्जा न हो । जितनी भी रोक-थाम हो सके, करने की कोशिश की जाती है । हमारी पालिसी यह है कि जो आ चुके हैं और जिनके नाम 1960 की मरदुम शुमारी में शामिल हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उठा कर दूसरी जगह दे दी जाए ।